

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15 लगायत 18 बावजूद तामील हाजिर नहीं, न्यायालय का समय पुरा होने तक बार बार आवाज लगाए जाने के बाद भी प्रतिवादी संख्या 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15 लगायत 18 हाजिर नहीं आए अतः इनके विरुद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। बहस वादपत्र पर श्रवण की गई। पत्रावली आदेश दिनांक 12.04.2021 को पेश हो।

21  
उपखण्ड अधिकारी  
उदयपुरवाटी (सुन्दर)

12.04.2021

पत्रावली पेश हुई (सुन्दर) उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस पर मनन करने के पश्चात पाते हैं कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 6, 7, 11, 14 उक्त वर्णित भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के प्रावधानानुसार रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि का विधिवत बंटवारा करवाने का अधिकारी है। उक्त विवेचन से वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

### निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाता है तथा प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम घोलाखेड़ा पटवार हल्का रघुनाथपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 610, 612/4, 904/610, 611, में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 6, 7/1, 11, 14 का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा काश्त के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी उभयपक्षों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नक्शा के दो प्रतियों में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें, इस बाबत तहसीलदार उदयपुरवाटी को तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं दाखिल दफ्तर हो तथा पत्रावली में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर पत्रावली वास्ते अंतिम डिक्री तलब होकर पेश हो।



उपखण्ड अधिकारी  
उदयपुरवाटी (सुन्दर)  
उदयपुरवाटी